

ज़िला लोक संपर्क अधिकारी, कपूरथला

ज़िला चुनाव अधिकारी ने आदर्श चुनाव संहिता सख्ती के साथ लागू करने के आदेश दिए

चारो विधान सभा हलकों में 622305 वोटर करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारो की प्रयोग

इशतेहारी बोर्ड और होर्डिंग तुरंत हटाने का अभियान शुरू

राजनीतिक रैलियों पर 15 जनवरी तक पूरी पाबन्दी

कपूरथला, 8 जनवरी

भारतीय चयन आयोग की तरफ से पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए समय सारणी का ऐलान करने के साथ ही ज़िला कपूरथला में आदर्श चुनाव संहिता तुरंत प्रभाव के साथ लागू हो गया है।

ज़िला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिशनर कपूरथला श्रीमती दीप्ति उप्पल ने आज विधान सभा चुनाव सम्बन्धित एस.एस.पी. कपूरथला, अतिरिक्त डिप्टी कमीशनरों, रिटर्निंग अधिकारियों, नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस दौरान कहा कि ज़िला कपूरथला के चारों विधान सभा हलकों फगवाड़ा (आरक्षित), कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी और भुलत्थ के लिए वोट 14 फरवरी को पड़ेंगी, जिसके लिए 622305 वोटर अपने लोकतांत्रिक अधिकारो का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वोटरों की सुविधा के लिए 793 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

ज़िकरयोग है कि चुनाव समय सारणी अनुसार ज़िले में 21 जनवरी को नोटिफिकेशन होगा, जिसके बाद 28 जनवरी तक नामज़दगी पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। 29 जनवरी को नामज़दगी पत्रों की पड़ताल होगी। 31 जनवरी को नामज़दगी पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 14 फरवरी को चारो विधान सभा हलकों में वोट पड़ेंगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय चुनाव कमीशन के आदेशों अनुसार 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, भीड़ पर पूर्ण रूप में पाबंदी लगाई गई है। इसके इलावा पहले दी मनज़ूरियों को भी तुरंत प्रभाव के साथ रद्द कर दिया गया है।

ज़िला चुनाव अधिकारी ने कहा कि अलग -अलग राजनीतिक प्रचार के लिए लगाए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि तुरंत हटाए जाएँ इस लिए नोडल अधिकारी पवन कुमार ऐक्सियन को तुरंत कार्यवाही शुरू करन के आदेश दिए गए हैं ।

ज़िला चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि स्टैटिक सरवीलेंस टीमों, वीडियो टीमों, फलायंग सकूऐड टीमों तुरंत प्रभाव के साथ काम शुरू करने और पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से सांझे स्थायी नाकों की संख्या में और विस्तार किया जाये।

चुनाव प्रीकिया दौरान कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाने पर चुनाव स्टाफ की 100 प्रतिशत वैकसीनेशन के लिए सिविल सर्जन को आदेश दिए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि अलग -अलग चुनाव समितियों में तैनात स्टाफ तुरंत अपने- अपने नोडल अधिकारियों के पास हाज़िरी पेश करे।उन्होंनेयह भी कहा कि सी. विज़ल एप के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाये, जिसके द्वारा लोग चुनाव संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायत, तस्वीर आदि एप के द्वारा भेज सकते हैं। इस पर मिली शिकायत को 100 मिनट के अंदर निपटारा करना होगा। इस मौके एस.एस. पी. कपूरथला द्यामा हरीश ओम प्रकाश ने कहा कि ज़िले में चुनाव स्टाफ के मद्देनज़र 22 भगौड़े ग्रिफतार किये जा चुके हैं और अलग -अलग महत्वपूर्ण चोंक और रास्तों पर नाकाबंदी की जा चुकी है।इस मौके अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जनरल अदित्या उप्पल, अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर विकास एस पी आंगरा और सभी रिटर्निंग अधिकारी और नोडल अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंस में भाग लिया